Ans. (a) : राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 318 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।

123. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है?

(a) आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(b) आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएँगे।

(c) आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो होगा।

(d) आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

सेकेण्ड ग्रेड-संस्कृत शिक्षा-17-02-2019

Ans. (a) : संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 316 में संघ या राज्यलोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का विवरण दिया गया हैं इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अतः प्रश्नानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

124. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजियेः

(a) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।

(b) इसका गठन 1 अगस्त, 1949 को हुआ था।

(c) आयोग का सदस्य बनने के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों।

(d) डॉ. एस.सी. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।

उपर्युक्त में से कौन सा/कौन से कथन सही है/हैं ?

(a) a, c और d (b) b और d दोनों

(c) केवल c (d) b और c दोनो

RPSC School Lecturer-26-04-2017

Ans. (c) : राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त, 1949 के प्रकाशन में 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया। इसके प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पदग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो, अपना पद धारण कर सकते है। उल्लेखनीय है कि राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष वह अन्य सदस्य होते है। जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग में सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है। परन्तु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कम करने का अनुभव हो। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

125. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलम्बित किया जा सकता है

(a) राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा

(b) राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा

(c) राजस्थान के राज्यपाल द्वारा

(d) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाशीध द्वारा

RPSC School Lecturer-26-04-2017

पटवार 2020 (24 अक्टूबर, 2021) Shift-III

Ans. (c) : राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्य के राज्यपाल द्वारा निलम्बित किया जा सकता है। ऐसा निलंबन न्यायालय कार्यवाही के अधीन एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन होगा। लेकिन पद से हटाया नहीं जा सकता। पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

126. निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं?

(a) एन.के. बैरवा (b) यतीन्द्र सिंह

(c) डी.डी. चौहान (d) देवेन्द्र सिंह

RPSC SI 03-09-2021

Ans. (a) : श्री एन.के. बैरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों पदों को सुशोभित कर चुके हैं। इनका सचिव पद का कार्यकाल 19 सितंबर, 1979 से 3 अप्रैल, 1980 तक तथा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 31 दिसंबर, 2000 से 22 मार्च, 2004 तक रहा है।

127. राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

(a) एस.सी. त्रिपाठी (b) सर एस. के. घोष

(c) डी.एस. तिवारी (d) एम.एम. वर्मा

पटवार -2020 (24 अक्टूबर, 2021) Shift-IV

Ans. (b) – संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त, 1949 को जयपुर में की गयी। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस.के.घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

128. यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना त्याग-पत्र किसे देगा?

(a) प्रधानमंत्री (b) राज्यपाल

(c) मुख्यमंत्री (d) राष्ट्रपति

पटवार-2020 (23 अक्टूबर, 2021)

Ans. (b) – राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये अपने पद पर 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, कार्यरत रहते हैं।